

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

.....

PCPO's SI No. 61/2021

No. E/Misc./O/ECR/HJP (E-Office/Compter No.96193)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभीPHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय :-'ALERT' regarding recent Cyber Crime - Online updation of Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patr).

संदर्भ :-Railway Board's letter No.-2020/AC-II/21/3,dated- 04.07.2021.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA: As above.

Signed by Saurabh Sawarn

Date: 08-07-2021 13:43:33

Reason: Approved

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:—

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

No. 2020/AC-II/21/3

New Delhi, dated 04.07.2021

The CMDs/MDs,
All PSBs

Sub: 'ALERT' regarding recent Cyber Crime - Online updation of Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patr)

Cyber Crime Cell, Hazaratganj, Police Commissionerate, Lucknow has issued an 'ALERT' to all pensioners regarding the calls made by fraudsters to the pensioners under the pretext of Online updation of Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patr). The following is the Modus Operandi:

The fraudsters first collect all information about the pensioners viz. Date of Appointment, Date of Retirement, PPO number, Aadhar Card Number, Permanent Address, email-ID, Amount of Settlement dues received by them at the time of retirement, Monthly Pension, Nominee etc. Then, they make phone calls to the pensioners and gain the trust of the pensioners by telling the above personal details. They, then, encourage the pensioners to obtain and share OTP for Online Updation of DLC. The fraudsters transfer the amounts lying at the credit of the pensioners Account to their fake Bank Accounts or "Wallet" by using this OTP.

It is, therefore, requested to send alert message to all Pensioners drawing pension through your bank to be cautious of such fraudulent calls clarifying that Pension Disbursing Authorities never make calls the pensioners nor request them to share OTP for Online updation of DLC. It is the responsibility of all pensioners that they personally present themselves in the office of the Pension Disbursing Authority for this purpose. Suitable notices may also be prominently in branches so that the Pensioners do not become victims of such frauds.

DA:As above


(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to : PCPOs/PFAs of all Zonal Railways and Production Units for information and n.a.



CYBER CRIME CELL HAZARATGANJ
POLICE COMMISSIONERATE LUCKNOW

"पेंशन धारकों के लिए अलर्ट"

**"साइबर आपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का
नया तरीका"**

आजकल साइबर आपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को "जीवन प्रमाण पत्र" ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है, उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा जैसे नियुक्ति का दिनांक, सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर (पेंशनभोगी भुगतान आदेश संख्या), आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी होती है। वे उन्हें इस पूरे डेटा के साथ कॉल करते हैं, ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से हैं। वे पेंशन धारकों का पूरा डेटा बताते हुये उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आये हुये ओटीपी को साझा कर देते हैं तो, जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। तत्पश्चात वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरन्त दुसरे 'फर्जी बैंक खातों' या 'वॉलेट' में स्थानांतरित कर देते हैं।

इसलिए जागरूक रहें, 'पेंशन निदेशालय' कभी भी किसी पेंशन धारक को उनका 'जीवन प्रमाण पत्र' ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को व्यक्तिगत रूप से पेंशन निदेशालय में जाकर अपडेट करायें। इस तरह आने वाली फर्जी कॉलो से बचे व साइबर क्राइम सेल हजरतगंज लखनऊ को सूचित करें।

कृपया यह जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें।